(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs Notification S.O. 404 (E) dated the 4th April, 2003, notifying the Constitution of the Review Committee, under section 63 of the Prevention of Terrorism Act, 2002. [Placed in Library. *See* No. L.T. 7578/03]

MOTION FOR ELECTION TO THE CENTRAL SILK BOARD

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा आर. पाटील) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि :-

"केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 5 के उपनियम (1) के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में यह सभा ऐसी रीति से, जैसा सभापति निदेश दे, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को केन्द्रीय रेशम बोर्ड का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

The question was put and the motion was adopted.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The Faulty Public Distribution System

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : आदरणीय सभापति महोदय, मैंने इस पर अपना वक्तव्य सदन में रख दिया है और मैं सोचता हूं कि जब सारे मैम्बर्स बोल लेंगे-तो इस पर ठीक से जवाब देने का मौका मिलेगा। मैं इतना जरूर चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ...

श्री सभापति : आप उसको पढ़िए। जो वक्तव्य दिया है, उसको पढकर सुनाइए।

श्री शरद यादव : महोदय, यह जो पी.डी.एस. इस देश में कई वर्षों से चला आ रहा है, किसी की भी सरकार रही हो, यह सिस्टम किसी न किसी रूप में चालू रहा जबकि सिस्टम में ...**(व्यवधान)**...